रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1575] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2015/श्रावण 6, 1937
No. 1575] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2015/SHRAVANA 6, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2015

सं. 16/2015–20

विषय : चीरी हुई लकड़ी की निर्यात नीति में संशोधन–नेपाल को निर्यात करने हेतु पत्तनों को जोड़ना।

का.आ. 2054(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 44 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 44 की क्रम सं0 181 के मद्दे प्रतिबंध का स्वरूप के बिन्दु सं0 (**ii**) की प्रविष्टि को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"आयातक और निर्यातक एक ही फर्म होगी तथा आयात और निर्यात एक ही पत्तन से कार्यान्वित किया जाएगा। स्कीम का प्रचालन केवल चेन्नई, कांडला, कोलकाता, मंगलोर, मुम्बई, मुन्द्रा, न्हावाशेवा (जेएनपीटी), तुतीकोरिन, विशाखापटनम और रक्सौल के लैंड कस्टम स्टेशन (एलसीएस) से किया जाएगा। तथापि, इस प्रयोजन के लिए मंगलौर और तुतीकोरिन को समान पत्तन माना जाएगा जिसके द्वारा आयातकों को मंगलौर से लकड़ी के लट्ठे के आयात की और तुतीकोरिन से चीरी हुई लकड़ी के निर्यात की तथा इसके उल्टे क्रम से अनुमति होगी। समान सुविधा कांडला, मुम्बई, मुंद्रा और न्हावा शेवा (जेएन पीटी), पत्तनों पर भी उपलब्ध होगी जिसके द्वारा आयातकों को उपर्युक्त पत्तनों में से किसी भी पत्तन से आयात करने की और समान पत्तन अथवा शेष तीन पत्तनों में से किसी भी पत्तन से निर्यात करने की अनुमति होगी। नेपाल को निर्यात के प्रयोजन से रक्सौल के भू सीमा–शुल्क स्टेशन (एलसीएस) और कोलकाता पत्तन को समान पत्तन माना जाएगा और आयातकों को कोलकाता पत्तन से लकड़ी के लट्ठे आयात करने की और चीरी हुई लकड़ी को रक्सौल के एलसीएस से नेपाल को निर्यात करने की अनुमति होगी।"

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

कोलकाता पत्तन के जरिए आयातित लकड़ी के लट्ठों से अनन्य रूप से चीरी हुई लकड़ी नेपाल को निर्यात करने हेतु रक्सौल के भू सीमा–शुल्क स्टेशन से अनुमति प्रदान की गई है।

[फा. सं. 01/91/180/331/एएम 14/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी]
प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2015

No. 16 /2015-20

Subject : Amendment in export policy of sawn timber-addition of ports for export to Nepal.

S.O. 2054(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government, with immediate effect, hereby makes the following amendments in Chapter 44 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items.

2. The entry at Point No. (ii) in the Nature of Restriction against Sl. No. 181 of Chapter 44 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items is substituted as under:

"The importer and exporter shall be the same firm and the import and export shall have to be effected from the same port. The scheme will be operational only from the ports of Chennai, Kandla, Kolkata, Mangalore, Mumbai, Mundra, Nhava Sheva (JNPT), Tuticorin, Vishakhapatnam and the Land Customs Station (LCS) of Raxaul. However, for this purpose, Mangalore & Tuticorin shall be treated as the same port thereby allowing importers to import wood logs from Mangalore and export the Sawn timber from Tuticorin and vice-versa. Similar facility shall also be available for Kandla, Mumbai, Mundra and Nhava Sheva (JNPT) ports thereby allowing importers to import from any of the above ports and export either from the same port or from any of the remaining three ports. For the purpose of export to Nepal, the Land Customs Station (LCS) of Raxaul and Kolkata port shall be treated as the same port thereby allowing importers to import wood logs from Kolkata port and export the Sawn timber to Nepal from the LCS of Raxaul".

3. Effect of this notification:

Export of sawn timber to Nepal made exclusively out of imported wood logs through the port of Kolkata has been permitted from the Land Customs Station (LCS) of Raxaul.

[F. No. 01/91/180/331/AM14/Export Cell]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.